<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

17-07-2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बंगलोर ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दिनांक 12.07.2024 को अनुसूचित जनजाति कल्याण और कर्नाटक सरकार के युवा और खेल के पूर्व मंत्री को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी कुल 89.62 करोड़ रुपये के निगम फंड के दुरुपयोग की चल रही जांच का हिस्सा है। इससे पहले, 10.07.2024 को, ईडी ने चार राज्यों में 23 परिसरों में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया, जिसमें महत्वपूर्ण सबूत मिले।

26.05.2024 को निगम कर्मचारी श्री चंद्रशेखर की दुखद आत्महत्या के बाद कर्नाटक पुलिस और सीबीआई द्वारा दायर प्राथमिकी के बाद जांच शुरू की गई थी।

यह पता चला कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लगभग 90 करोड़ रुपये को 18 नकली खातों में विपथित (डायवर्ट) किया गया था। इसके बाद डायवर्टेड फंड को नकली और फ़र्जी खातों के माध्यम से छिपाया गया, जिसमें आरोपियों के बीच नकदी और बुलियन की लेनदेन हुई थी। पूर्व मंत्री श्री बी नागेंद्र ने भी घोटाले के बाद इस्तीफा दे दिया।इसके अलावा, जांच के दौरान, ईडी ने खुलासा किया कि आम चुनावों से ठीक पहले शराब की एक महत्वपूर्ण मात्रा खरीदने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन का उपयोग किया गया था। इसके अतिरिक्त, एक लैम्बोर्गिनी सहित हाई एंड वाहनों को घोटाले से प्राप्त आय का उपयोग करके खरीदा गया था।

श्री बी नागेंद्र और श्री बसनागौदा दद्दल (निगम के अध्यक्ष) परिसर में तलाशी के दौरान, ईडी ने हाल के आम चुनावों के दौरान विपथित (डायवर्टेड) फंड के संचालन से उन्हें जोड़ने वाले अपराध संकेती दस्तावेज बरामद किए। इसके अतिरिक्त, श्री बी. नागेंद्र से निकट सहयोगियों के फंड डायवर्जन और नकद प्रबंधन में संलिप्तता को सामने लाया गया|निगम के अध्यक्ष श्री बसानगौडा दद्दल के आवास पर इन अवैध निधियों के संचालन से संबंधित आपराधिक साक्ष्य की भी खोज की गई। उनकी गिरफ्तारी के बाद, श्री बी नागेंद्र को सांसदों और विधायकों के लिए विशेष न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां 18 जुलाई तक ईडी को हिरासत दी गई।

आगे की जांच चल रही है ।